XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 02.09.2011 | | |

# न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
## वासगीत पर्चा वाद संख्या–29/2009
## धारा–21 B.P.P.H.T. Act अन्तर्गत

राजेन्द्र प्रसाद यादव, पिता–स्व0 गोविन्द यादव, साकिन–सुखसेना, थाना–बड़हरा कोठी, जिला–पूर्णियाँ.....

आवेदक

**बनाम्**

जानकी देवी, पति–बेचन यादव, साकिन–सुखसेना, थाना–बड़हरा कोठी, जिला–पूर्णियाँ.....

विपक्षी

## आ दे श

आवेदक अंचलाधिकारी, बड़हरा कोठी द्वारा वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या–16/2000–01 में पारित आदेश को रद्द करने हेतु यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक मौजा–सुखसेना, थाना नं0–144, खाता संख्या–121, खेसरा संख्या–3105, रकवा–15 डिसमिल बिनोदानन्द का पिता कलानन्द झा से निबंधित केवाला द्वारा खरीदा है। नामान्तरण के कम में आवेदक को ज्ञात हुआ कि उपरोक्त जमीन का वासगीत पर्चा जानकी देवी, पिता–प्रेमलाल यादव के नाम से 7 1/2 डिसमिल एवं उर्मिला देवी, पति–बेचन यादव के नाम से 7 1/2 डिसमिल कुछ ही समय पूर्व बन चुका है। उल्लेखनीय है कि जानकी देवी एवं उर्मिला देवी दोनों ही बेचन यादव की पत्नी है। पर्चा निर्गत करने के कम में बिना किसी आवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण किये पर्चा निर्गत किया। भूस्वामी को भी सूचना निर्गत नहीं की गयी। आवेदक एक शिक्षक है, इसलिये आवेदक की पत्नी ने जिला जन शिकायत कोषांग में आवेदन दी। जिला जन शिकायत कोषांग से अंचलाधिकारी को जाँच के लिये आवेदिका के आवेदन को भेजा गया। अंचलाधिकारी ने जाँच के लिये अंचल निरीक्षक को आवेदिका का आवेदन सौंपा। अंचल निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि पर्चा निर्गत करने के लिये आवश्यक नियमों का पालन नहीं हुआ है और दोनों पर्चा को रद्द करने की अनुशंसा भी की। दोनों पर्चाधारी में एक उर्मिला देवी निःसंतान स्वर्गीय हो चुका है।

अतः आवेदक इस न्यायालय से उपरोक्त पर्चा को रद्द करने का निवेदन करता है।

विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद चलने योग्य नहीं है। प्रश्नगत जमीन के खतियानी मालिक कलानन्द झा थे, जो शरीर से चलने–फिरने में लाचार थे। भूस्वामी की सहमति से विपक्षी प्रश्नगत जमीन पर घर बनाकर रह रहा है। फलस्वरूप विपक्षी प्रश्नगत जमीन का पर्चा निर्गत करने हेतु आवेदन दिया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर वासगीत पर्चा बना। भूस्वामी द्वारा किसी प्रकार का आपत्ति भी नहीं किया गया।

अतः विपक्षी अनुरोध करता है कि इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

निम्न न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में अंचलाधिकारी द्वारा

XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

कार्यालय में अभिलेख नहीं मिलने के कारण अभिलेख भेजने में असमर्थता व्यक्त किया गया है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 28.03.2011 को सुनवाई के क्रम में पाया गया कि दोनों पक्ष अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में भी कई दिनों में आवेदक एवं विपक्षी लगातार अनुपस्थित रहे। बासगीत पर्चा फर्जी होने से संबंधी आधार उपलब्ध कराने का निदेश आवेदक को दिनांक 23.07.2011 को दिया गया। परन्तु आवेदक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। लगातार अनुपस्थिति के कारण दिनांक 14.03.2011 को आवंदक को अंतिम मौका देते हुए स्वंय उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। परन्तु इसके बाबजूद भी न्यायालय में उपस्थित रहना उचित नहीं समझा।

पुनः दिनांक 02.09.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हहै कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। साथ–ही–साथ आवेदक के द्वारा भी इस वाद का संचालन में कोई रूचि नहीं लिया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ